अनुदान संख्या 16 - सहकारिता मंत्रालय
GRANT No. 16 - MINISTRY OF COOPERATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	889,00,00		1891,03,00	1471,74,30	-419,28,70
पूरक	Supplementary	1002,03,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					89,16,12
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	11,00,00		165,01,00	164,78,10	-22,90
पूरक	Supplementary	154,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					22,89

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में समग्र बचतें (₹41928.70 लाख) मार्च, 2023 में प्राप्त किए गए ₹100203.00 लाख के पूरक अनुदान का 42 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹41928.70 lakhs) constituted 42 percent of the supplementary grant of ₹100203.00 lakhs obtained in March, 2023 and 22 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय– आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	9810.00	6174.70	2077.81	-4096.89
पु.	R.	-3635.30			
मुख्य शीर्ष "2425" सहकारिता	Major Head "2425" Co-operation				
मू.	O.	15640.00	134429.18	105596.49	-28832.69
पू.	S.	85696.00			
पु.	R.	33093.18			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	7300.00	83.00	..	-83.00
पू.	S.	8400.00			
पु.	R.	-15617.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	56150.00	38931.00	38931.00	..
पू.	S.	5538.00			
पु.	R.	-22757.00			

(I) अट्ठाईस शीर्षों के अंतर्गत ₹53371.00 लाख का प्रावधान (₹8400.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹49909.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :–

(I) Provision of ₹53371.00 lakhs (including supplementary grant of ₹8400.00 lakhs) remained wholly unutilised under twenty eight heads; of these ₹49909.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2425" –

(क) "प्रशिक्षण – सहकारिता प्रशिक्षण के लिए अनुदान" – ₹1682.00 लाख; और

(ख) "सहकारिता शिक्षा – सहकारिता शिक्षा के लिए अनुदान" – ₹2019.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहे ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "सहयोग – अन्य सहकारिताओं को सहायता" –

(i) "कृषि सहकारिता संबंधी एकीकृत योजना" – ₹4967.00 लाख (₹4593.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(ii) "सहकारिता के माध्यम से समृद्धि" – ₹2049.00 लाख;

(iii) "सहकारी चीनी मिलों (सी एस एम एस) के सुदृढीकरण के लिए एन सी डी सी को सहायता अनुदान" – ₹1690.00 लाख;

(ख) "सहयोग – बहुप्रयोजनीय ग्रामीण सहकारिताओं को सहायता – प्राथमिक कृषि ऋण क्रेडिट सोसायटियों का कंप्यूटरीकरण" – ₹2626.00 लाख;

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(i) "प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों का कंप्यूटरीकरण" – ₹582.00 लाख;

(ii) "कृषि सहकार्ता संबंधी एकीकृत योजना" – ₹1102.00 लाख (₹1019.00 लाख के पूरक

(A) Major Head "2425" -

(a) "Training - Grant for Cooperative Training" - ₹1682.00 lakhs; and

(b) "Cooperative Education - Grant for Cooperative Education" - ₹2019.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-receipt of proposals.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Cooperation - Assistance to Other Cooperatives" -

(i) "Integrated Scheme on Agriculture Cooperation" - ₹4967.00 lakhs (including supplementary grant of ₹4593.00 lakhs);

(ii) "Prosperity through Cooperatives" - ₹2049.00 lakhs;

(iii) "Grant-in-aid to NCDC for strengthening of Cooperative Sugar Mills (CSMS)" - ₹1690.00 lakhs;

(b) "Cooperation - Assistance to Multipurpose Rural Cooperatives - Computerization of Primary Agricultural Credit Societies" - ₹2626.00 lakhs;

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Computerization of Primary Agricultural Credit Societies" - ₹582.00 lakhs;

(ii) "Integrated Scheme on Agriculture Cooperation" - ₹1102.00 lakhs

अनुदान सहित); और

(including supplementary grant of ₹1019.00 lakhs); and

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – कृषि सहकारिता संबंधी एकीकृत योजना" – ₹571.00 लाख (₹528.00 लाख के पूरक अनुदान सहित)।

(d) "Tribal Area Sub-Plan - Integrated Scheme on Agriculture Cooperation" - ₹571.00 lakhs (including supplementary grant of ₹528.00 lakhs).

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग के कारण अप्रयुक्त रहे।

Provisions under the above seven heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(का) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" –

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(क) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – सहकारिता के माध्यम से समृद्धि" – ₹18446.00 लाख; और

(a) "Central Assistance/Share - Prosperity through Cooperatives" - ₹18446.00 lakhs; and

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "सहकारिता के माध्यम से समृद्धि" – ₹4094.00 लाख।

(i) "Prosperity through Cooperatives" - ₹4094.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान योजना को अनुमोदन नहीं दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-approval of scheme.

(ii) "प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों का कंप्यूटरीकरण" – ₹5244.00 लाख; और

(ii) "Computerization of Primary Agricultural Credit Societies" - ₹5244.00 lakhs; and

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(c) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों का कंप्यूटरीकरण" – ₹2717.00 लाख।

(i) "Computerization of Primary Agricultural Credit Societies" - ₹2717.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहे।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-receipt of proposals.

(ii) "सहकारिता के माध्यम से समृद्धि" – ₹2120.00 लाख – योजना को अनुमोदन नहीं मिलने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2425" – के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के समक्ष दर्शायी गयी सीमा तक अप्रयुक्त रहा :–

(का) "अन्य सहकारिताओं को सहायता – कृषि सहयोग संबंधी एकीकृत योजना" – ₹3366.00 लाख का मूल प्रावधान ₹41431.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त कर के ₹44797.00 लाख तक बढाया गया, जो, तथापि, ₹21563.58 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – कृषि सहकारिता संबंधी एकीकृत योजना" – ₹747.00 लाख का मूल प्रावधान ₹9173.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹9920.00 लाख तक बढाया गया, जो, तथापि, ₹520.38 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार तेलंगाना भेड और बकरी विकास सहकारी फेडरेशन को सहायता संवितरित नहीं किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – सहकारिता मंत्रालय" के अंतर्गत – ₹7732.19 लाख की बचत (₹9810.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(IV) मुख्य शीर्ष "2425" – "निर्देशन और प्रशासन – केंद्रीय सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार" – ₹586.79 लाख की बचत (₹1090.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों की नहीं भरे जाने और कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) "Prosperity through Cooperatives" - ₹2120.00 lakhs - due to non-approval of scheme.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2425" remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Assistance to other co-operatives - Integrated Scheme on Agriculture Cooperation" - the original provision of ₹3366.00 lakhs was augmented to ₹44797.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹41431.00 lakhs, which, however, remained unutilized to the extent of ₹21563.58 lakhs; and

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Integrated Scheme on Agriculture Cooperation" - the original provision of ₹747.00 lakhs was augmented to ₹9920.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹9173.00 lakhs, which, however, remained unutilized to the extent of ₹520.38 lakhs.

Savings under the above two heads were due to non-disbursal of assistance to Telengana Sheep and Goat Development Cooperative Federation Limited as per decision of the Ministry.

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Cooperation" - saving of ₹7732.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9810.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "2425" - "Direction and Administration - Central Registrar of Co-operative Societies" - saving of ₹586.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1090.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रस्ताव बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹32507.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मुख्य शीर्ष “2425” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹94096.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

2.(I) The above savings were partly (₹32507.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants ₹94096.00 lakhs under Major Head “2425” under the following heads: -

(का) “प्रशिक्षण – वैकुंठ नाथ मेहता राष्ट्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान (वी ए एम एन आई सी ओ एम)” – ₹2847.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹2725.00 लाख था।

(A) “Training - Vaikunthlal Mehta National Institute of Cooperative Management (VAMNICOM)” - ₹2847.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2725.00 lakhs.

(खा) “क्रेडिट सोसायटियों को सहायता – सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण (सी एस एम एस) के लिए एन सी डी सी को सहायता अनुदान” – ₹22185.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹22186.00 लाख था।

(B) “Assistance to Credit Cooperatives - Grant-in-aid to NCDC for strengthening of Cooperative Sugar Mills (CSMS)” - ₹22185.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹22186.00 lakhs.

(गा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – सहकारी चीनी मिलों (सी एस एम एस) के सुदृढ़ीकरण के लिए एन सी डी सी को सहायता अनुदान” – ₹4924.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4923.00 लाख था।

(C) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Grant-in-aid to NCDC for strengthening of Cooperative Sugar Mills (CSMS)” - ₹4924.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4923.00 lakhs.

(घा) “जनजाति क्षेत्र उप योजना सहकारी चीनी मिलों (सी एस एम एस) के सुदृढ़ीकरण के लिए एन सी डी सी को सहायता अनुदान” – ₹2551.00 लाख।

(D) “Tribal Area Sub-Plan - Grant-in-aid to NCDC for strengthening of Cooperative Sugar Mills (CSMS)” - ₹2551.00 lakhs.

(II) बचतें भी मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनाये – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों का कंप्यूटरीकरण” – ₹9864.00 लाख के अधिक व्यय (₹5538.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹29067.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं, अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Computerization of Primary Agricultural Credit Societies” - excess of ₹9864.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹29067.00 lakhs including supplementary grant of ₹5538.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1100.00			
पू.	S.	15401.00	16478.11	16478.10	-0.01
पु.	R.	-22.89			

(I) "कार्यालय भवन – भूमि का अधिग्रहण – भूमि की खरीद" – ₹1100.00 लाख का मूल प्रावधान ₹15400.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹16500.00 लाख तक बढाया गया, जो, तथापि कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण ₹14973.35 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Office Building - Acquisition of Land - Purchase of Land" - the original provision of ₹1100.00 lakhs was augmented to ₹16500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹15400.00 lakhs in December, 2022 which, however, remained unutilized to the extent of ₹14973.35 lakhs - due to receipt of less proposals.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹14928.57 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मार्च, 2023 में "कार्यालय भवन – तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण – केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹14950.45 लाख था।

4. The above savings were partly (₹14928.57 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2023 under "Office Building - Acquisition of Ready Built Accommodation - Central Registrar of Cooperative Societies". Actual excess, however, was ₹14950.45 lakhs.